23-9-25

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का कल्याणपुरा (थोई)

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट   मुकदमा नम्बर 126/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	[illegible]
23.09.2025	राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों / कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज-5 / ग्रु / 2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1937 / भू.अ. / 2025 दिनांक 27.06.2025 एवं पुनः पत्रांक 2589 / भू.अ. / 2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कल्याणपुरा (थोई) पटवार हल्का कल्याणपुरा (थोई) के कृषि भूमि खसरा नम्बर 570 / 1027 रकबा 0.29 हैक्टेयर में से होकर जा रहे प्रचलित रास्ता रामचन्द्र यादी के मकान से बलाईयों के मोहल्ले तक जाने वाले प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर सुचारू रूप से संचालित है। उक्त प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधि[illegible] व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान [illegible] दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गूगल मेप, फर्द मौ[illegible] रिपोर्ट जिस पर आम ज[illegible] के सहमति बतौर हस्ताक्षरित, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का कल्याणपुरा (थोई) संलग्न है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का कल्याणपुरा थोई
प्र.न. 126/2025

तारीख हुक्म	प्रा० पत्र हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया गया।

इसी परिपक्ष्य मे पूर्व मे श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनाक 10.08.2016 के द्वारा भी गांवों मे कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चले आ रहे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित खातेदारान् के ही नाम जमाबन्दी में रखे जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उक्त जारी परिपत्र की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव व प्रस्ताव के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होकर सार्वजनिक रूप से काम में आने, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता रामचन्द्र योगी के मकान से बलाईयों के मौहल्ले तक जाने वाले प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर सुचारू रूप से संचालित होना प्रकट होता है। उक्त प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू होकर रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आने से एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार [illegible] ते है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (थोई) पटवार मण्डल कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 570/1027 रकबा 0.2900 हैक्टर किस्म बजंड–2 में से 0.0480 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के

उपखण्ड अधिकारी (न्यायिक) श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बाबत पटवारी हल्का कल्याणपुरा को

प्रा० पत्र — 126/2025

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एंव नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सिवायचक भूमि होकर राजस्थान सरकार के खातें में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय / अपर / सिविल / राजस्व मण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नही हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	3478/ 25-9

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 12:59:52 IST
Reason: SelfAttested